भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3018
दिनांक 07 अगस्त 2025

एलपीजी सिलेंडरों में आग लगने और विस्फोट की घटनाएं

3018 **श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में एलपीजी सिलेंडरों में आग लगने और विस्फोट की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिनमें कई नागरिकों की जान चली गई है और इससे सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सड़कों पर चल रहे एलपीजी टैंकरों से गैस चोरी और सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जनवरी 2025 में अजमेर की घटना, जून 2025 में जम्मू-कश्मीर के अवंतीपुरा में एचपीसीएल टैंकर से अवैध रूप से गैस भरने के आरोप में तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी और फरवरी 2025 में भोपाल में बड़ी संख्या में सिलेंडरों की जब्ती शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस तरह की अवैध गैस भरने की घटनाएं अधिकृत वितरकों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की पूरी तरह से अनदेखी करके जनता के जीवन को खतरे में डालती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जाने वाली है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से जुड़ी दुर्घटनाएँ विभिन्न कारणों से होती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सिलेंडरों से चोरी, घरेलू सिलेंडर से गैर-घरेलू सिलेंडर में एलपीजी को भऱना, गैर-अनुमोदित/गैर-मानकीकृत उपकरणों का उपयोग, उपभोक्ता के परिसर में अनुचित रखरखाव, समय-समय पर होज़पाइप न बदलने के कारण उसमें हुई टूट-फूट, ओ-रिंग्स का खराब होना, एलपीजी होज़ से रिसाव, चूल्हे से रिसाव, आग लगने से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी के कारण एलपीजी सिलेंडर का फटना आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि एलपीजी कनेक्शन की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद ही कनेक्शन जारी किए जाएँ। सभी क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान, मानदंड और चरण निम्नानुसार हैं:

i. एलपीजी सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर की निर्माण इकाइयों के लिए अनुमोदन प्रदान करना और इन उपकरणों का डिज़ाइन, भंडारण परिसर का लाइसेंस, सिलेंडर परीक्षण और भराई आदि को गैस सिलेंडर नियम 2016 के अधीन विनियमित किया जाता है।

ii. पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सिलेंडरों का सुरक्षित उपयोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के अन्तर्गत नियंत्रित होता है।

iii. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मानदंडों के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर जाँच की जाती है।

iv. एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित क्या करें और क्या न करें - के चित्रमय चित्रण वाला एक लेमिनेटेड सुरक्षा कार्ड प्रदान किया जाएगा।

v. एलपीजी के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वितरक द्वारा सुरक्षा क्लीनिकों का आयोजन। एलपीजी रिसाव की शिकायतों के मामले में तत्काल कार्रवाई के लिए चौबीसों घंटे समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1906)।

vi. ऑडियो-वीडियो/प्रिंट मीडिया, बैनर/होर्डिंग, पत्रक, पैम्फलेट आदि के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

vii. पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गाँवों में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन।

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के द्वार तक पहुँचने के उद्देश्य से "खुशियाँ अब तीन गुना" थीम के अंतर्गत पूरे देश भर में मार्च, 2024 से दिसंबर, 2024 तक एक आधारभूत सुरक्षा जाँच अभियान चलाया गया। यह अभियान उपभोक्ताओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पहल, ग्राहक परिसरों में ऑन-साइट सुरक्षा जाँच और सुरक्षा होज़ों के प्रतिस्थापन द्वारा पूरित किया गया। इस अभियान ने उपभोक्ता परिसरों में बिना किसी लागत के 12.12 करोड़ से अधिक निःशुल्क बुनियादी सुरक्षा जाँचों और रियायती दरों पर 4.65 करोड़ से अधिक एलपीजी होज़ों के प्रतिस्थापन के साथ उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों, जैसे एलपीजी पंचायतों और स्कूलों में एलपीजी सुरक्षा क्लीनिकों के साथ-साथ आम जनता तक पहुँचने के लिए ऑडियो-विजुअल (एवी) सामग्रियों का उपयोग किया गया। पहुँच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इन एवीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया।

ओएमसीज ने बताया है कि एलपीजी प्रणाली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या 2.13 प्रति मिलियन (वित्त वर्ष 2022-23 में) से घटकर 0.97 प्रति मिलियन (वित्त वर्ष 2024-25 में) हो गई है।

ओएमसीज ने बताया है कि जून 2025 में जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में, एचपीसीएल द्वारा अनुबंधित एक एलपीजी टैंक ट्रक (टीटीएस) के टैंकरों से एलपीजी सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरते हुए पाया गया। आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उक्त बल्क टैंकर को परिवहन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार चोरी में लिप्त होने के कारण निलंबित कर दिया गया है।

इसके अलावा, फरवरी 2025 में, जिला प्राधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त निरीक्षण दल ने भोपाल में छः स्थानों पर औचक छापेमारी की। इस अभियान के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनधिकृत स्थल पर 55 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। जिला प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भोपाल के तलैया में पुलिस द्वारा की गई ऐसी ही एक अन्य छापेमारी में एक अनधिकृत स्थल पर 15 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। दुकानदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया। जनवरी 2025 में अजमेर से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

*****